

# राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

## (युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1,190,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 20,700 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

**जबकि**, यह महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय के जो निवासी बीमार हो जाते हैं उनके पास चिकित्सा पेशेवरों के आवश्यक देखभाल तक पहुँच हो, जिसमें अस्पताल का बिस्तर, आपातकालीन कक्ष का बिस्तर, या वैंटिलेटर हैं, यदि आवश्यकता हो; और,

**जबकि**, यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्वास्थ्य देखभाल और प्रथम प्रतिक्रिया कार्यबल के पास मरीजों का सुरक्षात्मक तरीके से इलाज करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं की प्रतिक्रिया देने के लिए, और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) हों; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

**जबकि**, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं सचिव (यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा की थी कि COVID-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपात स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चिह्नित किया, और अब इसने पूरे विश्व में COVID-19 के 115 मिलियन से अधिक पुष्टिकृत मामलों एवं इसके कारण लगभग 2.5 मिलियन मौतों की रिपोर्ट की है; और,

**जबकि**, COVID-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद, यह वायरस लगातार तेज़ी से फैला है, जिसके फलस्वरूप संघीय व राज्य सरकारों को उल्लेखनीय कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है; और,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, मार्च 13, 2020 को राष्ट्रपति ने रॉबर्ट टी. स्टैफर्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford डिज़ास्टर रिलीफ एंड इमरजेंसी असिस्टेंस ऐक्ट), 42 U.S.C. के भाग 501 (b) के अनुसरण में राष्ट्रव्यापी आपदा घोषित की है। 5121-5207 ("स्टैफर्ड अधिनियम") इलिनॉय सहित सभी राज्यों और क्षेत्रों को कवर करता है; और,

**जबकि**, मार्च 26, 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफर्ड अधिनियम के अनुभाग 401 के अनुसरण में इलिनॉय में बड़ी आपदा घोषित की; और,

**जबकि**, अप्रैल 1, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के विस्फोटक फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, अस्पताल के बिस्तरों, ER बिस्तरों, और वेंटिलेटरों की कमी होने के खतरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, मई 29, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, और परिणामतः वायरस यानि विषाणु के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, और परीक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, जून 26, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के और अधिक प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, जुलाई 24, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, अगस्त 21, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, सितंबर 18, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

**जबकि**, अक्टूबर 16, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, नवंबर 13, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के बढ़े हुए प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, 11 दिसंबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के निरंतर प्रसार के कारण, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को

बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटीयों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, जनवरी 8, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, और परिणामतः वायरस यानि विषाणु के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, , मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटीयों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 5 फरवरी, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, और परिणामतः वायरस यानि विषाणु के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, , मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटीयों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, जैसे COVID-19 से संबंधित परिस्थितियां विकसित हुई हैं और नए साक्ष्य प्रकट हुए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी एवं मार्गदर्शन में बारंबार बदलाव किए गए हैं; और,

**जबकि**, COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें न केवल श्वसन तंत्र बल्कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले इसके स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, ने इस विषाणु यानि वायरस के प्रभावों और इसके प्रसार के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन बना दिया है; और,

**जबकि**, आरंभ से ही, आंकड़े दर्शाते हैं, कि वृद्ध वयस्कों और स्वास्थ्य की अन्तर्निहित गंभीर स्थितियों वाले व्यक्तियों में COVID-19 के कारण गंभीर, और कभी-कभी घातक, जटिलताएं होने की संभावना अधिक है; और,

**जबकि**, साक्ष्य ने दर्शाया है कि युवा लोग, जिनमें शिशु और घुटनों पर चलने वाले बच्चे भी शामिल हैं, में भी ऐसी जटिलताओं का जोखिम है; और,

**जबकि**, COVID-19 के नए मामलों और अस्पतालों में भर्ती COVID-19 रोगियों में युवा और मध्य-आयु के लोग उल्लेखनीय संख्या में हैं, और साक्ष्य मौजूद है कि COVID-19 के कारण रक्त के थक्के जमते हैं और दौरे पड़ते हैं (स्ट्रोक), और इससे युवाओं और मध्य-आयु के ऐसे रोगियों को, जिनमें इसके बहुत कम लक्षण दिखाई दिए, प्राणघातक दौरे भी पड़े (स्ट्रोक) हैं; और,

**जबकि**, ऐसे संक्रमित व्यक्तियों, जिनमें लक्षण नहीं दिखे हैं, से होने वाले प्रसार के बारे में समझ अब बदल चुकी है, और अप्रैल 12, 2020 को रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए संघीय केंद्र (CDC) ने संपर्क जोखिम की अवधि को “लक्षणों के आरंभ” से बदल कर “लक्षण आरंभ से 48 घंटे पहले” कर दिया था; और,

**जबकि**, वायरस से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं पर फिर भी वे इसे दूसरों तक फैला सकते हैं; और,

**जबकि**, हालांकि CDC ने शुरू में सुरक्षा के रूप में कपड़े के फ़ेस कवर या मास्क पहनने के विरोध में अनुशंसा की थी, लक्षणहीन और लक्षण-पूर्व संचार पर हुए शोध के नतीजे में, CDC ने अपने निष्कर्षों को संशोधित किया और ऐसे सार्वजनिक स्थानों में कपड़े के फ़ेस कवर पहनने का सुझाव दिया है जहां सामाजिक दूरी के उपायों को बनाए रखना कठिन है; और,

**जबकि**, CDC की अब यह सलाह है कि कपड़े के फ़ेस कवर या मास्क पहनने वाले को भी और उसके आस-पास मौजूद लोगों को भी COVID-19 से सुरक्षा देते हैं; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन अब संकेत करता है कि जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ कपड़े के फ़ेस कवर पहने की आवश्यकता है और यह प्रभावशील है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) जारी की थी तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

**जबकि**, आज की स्थिति में, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के पुष्टीकृत मामलों की संख्या 1,190,000 से अधिक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा मार्च 17, 2020 को की गई थी; और,

**जबकि**, आज की स्थिति में, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 20,700 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

**जबकि**, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि हर पुष्ट मामले के साथ कई और अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित व्यक्ति होते हैं, जो अनजाने ही दूसरों को वायरस का संक्रमण दे सकते हैं; और,

**जबकि**, CDC का अनुमान है कि कुछ निश्चित क्षेत्रों में COVID-19 के कुल मामले रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में अधिक हो सकते हैं; और,

**जबकि**, राज्य में नए COVID-19 मामलों की संख्या पिछले कई हफ्तों से कम हो गई है, और वाइरस हजारों व्यक्तियों को लगातार संक्रमित कर रहा है एवं प्रतिदिन बहुत से इलिनॉय निवासियों की जान ले रहा है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी केवल सबसे अधिक जनसंख्या वाली काउंटियों तक सीमित नहीं है, और आज की स्थिति में, राज्य के सभी क्षेत्रों की काउंटियों में COVID-19 के जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है; और,

**जबकि**, सावधानियों के बिना COVID-19 कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी तेजी से फैल सकता है; उदाहरण के लिए, जैस्पर काउंटी में, एक अकेले पहले संक्रमित उत्तरदाता ने एक नर्सिंग होम का दौरा किया और संक्रमणों की श्रृंखला को जन्म दिया, यह राज्य में उच्चतम संक्रमण दरों में से एक थी; और इसी तरह, रेंडोल्फ काउंटी में भी एक अकेले संक्रमित व्यक्ति ने मार्च के मध्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिस कारण इस काउंटी को भी राज्य की उच्चतम संक्रमण दरों में से एक के रूप में परिणाम भुगतना पड़ा; और,

**जबकि**, राज्य और इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने एक शमन योजना बनाई है जो क्षेत्र में एक निश्चित स्तर का खतरा होने पर अतिरिक्त रूप से सावधानियां रखने के लिए है; और,

**जबकि**, U.S. ने कुल 28.5 मिलियन मामलों और 515,000 से अधिक मौतों के आंकड़े को पार कर लिया है; और,

**जबकि**, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक निवासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) ने अस्पताल संसाधनों के इस्तेमाल एवं क्षमता की आवश्यकता में अचानक बढ़े उछाल से बचने के लिए अस्पतालों, स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए अपनी इलिनॉय आपातकालीन संचालन योजना (इमरजेंसी ऑपरेशंस प्लान) और आपातकालीन सहयोग कार्य 8 योजना को सक्रिय कर दिया था; और,

**जबकि**, जैसे-जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों को इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मी, अस्पताल एवं अन्य इकाइयां इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के पास अत्यावश्यक आपूर्तियों, जिनमें PPE, जैसे कि मास्क, फ्रेस शील्ड, गाउन, एवं दस्ताने शामिल हैं, का होना आवश्यक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य एक भंडार बनाकर रखता है जो मौजूदा PPE आपूर्ति श्रृंखलाओं और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के स्टॉक को सहयोग देता है; और,

जबकि, राज्य ने पर्याप्त संख्या में PPE की आपूर्ति सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना जारी रखा है, और ऐसे में यदि जुटाने के ये प्रयास बाधित होते हैं या इलिनॉय में COVID-19 के मामलों में अचानक उछाल आता है, तो राज्य के सामने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और प्रथम प्रतिक्रियादाताओं के लिए श्वसन-यंत्रों (रेस्पिरेटर), मास्क, सुरक्षा चश्मों, फेस शील्ड, दस्तानों, गाउन, और अन्य सुरक्षा उपकरणों की प्राणघातक कमी उत्पन्न हो जाएगी; और,

**जबकि**, इलिनॉय में अस्पताल शैया और ICU शैया का उपयोग प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से अधिक है, और, यदि COVID-19 मामलों की संख्या में और उछाल आता है, तो राज्य के सामने इन अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है; और,

**जबकि**, COVID-19 संकट के दौरान, राज्य को COVID-19 के किए जा सकने वाले और प्रोसेस किए जा सकने वाले परीक्षणों की संख्या अब तक सीमित रही है जिसका कारण परीक्षण स्थलों और प्रयोगशालाओं की सीमित संख्या, और आवश्यक आपूर्तियों, जिनमें नमूने लेने हेतु आवश्यक फ़ाहे (स्वैब) शामिल हैं, की कमी हैं; और,

**जबकि**, अब इलिनॉय COVID-19 के कुल 18 मिलियन से भी अधिक नमूनों का परीक्षण कर चुका है; और,

जबकि, 20,700 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

**जबकि**, पूरे देश में, लगभग 75 मिलियन लोगों ने महामारी की शुरुआत के बाद से बेरोजगारी के दावे दायर किए हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय के रोजगार सुरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि राज्य की बेरोजगारी दर ऊँचाई पर बनी हुई है; और

**जबकि**, इलिनॉय रोजगार सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्युरिटी) इस आर्थिक संकट का कई प्रकार से सामना कर रहा है, जिसमें वैश्विक-महामारी बेरोजगारी सहायता (पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस) कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

**जबकि**, वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी) इस आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें COVID-19 संबंधी बंदों के कारण कार्य करने की अत्यंत सीमित क्षमता का अनुभव करने वाले व्यवसायों के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट्स प्रोग्राम) के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

**जबकि**, राज्य के कई कार्यकारी अभिकरणों ने अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 वैश्विक-महामारी की जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित किया है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, IDOA) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति श्रृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (डेड एनिमल डिस्पोज़ल एक्ट) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीडकनाशी (पैस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के

सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (बिज़नेस इंटरप्लान ग्रांट प्रोग्राम) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 के कारण हुई आर्थिक हानि एवं असुरक्षा ने व्यवसायों की व्यवहार्यता को और आवास, चिकित्सीय देखभाल, भोजन, एवं निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों की सुलभता को खतरे में डाला है; और,

**जबकि**, आवास की सुविधा ने COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद की है क्योंकि आवास की सुविधा वाले लोग अपने घरों के बाहर मौजूद लोगों से शारीरिक संपर्क को कम कर पाए हैं; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली की कार्यवाही को रोकना, निकाले जाने से जुड़े कई संपर्कों से बचाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारी, कोर्ट रूम कर्मी, मकान मालिक, मूकर्स (सामान स्थनांतरण करने वाले) और मित्र और परिवार शामिल हैं, जो अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो बेघर होने के लिए मजबूर हैं, किसी आश्रय में शरण लेने से जुड़े संपर्कों से बचाता है; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली कार्यवाहियों को रोकना प्रसार को रोकता है, इस प्रकार यह व्यापक समुदाय में COVID-19 के प्रसार को भी रोकता है; और,

**जबकि**, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में भी सक्षम हों; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, और COVID-19 के तेजी से प्रसार पर गौर करते हुए, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी महीनों में जिन निरंतर जारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक दुष्प्रभावों का अनुभव करेंगे उन पर विचार करते हुए, इलिनॉय में COVID-19 से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनती हैं; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त के आधार पर, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बना हुआ बोझ, संक्रमणों की संख्या में उछाल आने की स्थिति में राज्य द्वारा इन संसाधनों की संभावित कमी का सामना करने की जारी संभावना, और PPE की खरीद एवं वितरण बढ़ाना जारी रखने के साथ-साथ COVID-19 की परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनाते हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहे और, अतः राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन लोगों की सेवा करने में सक्षम है जो बीमार हैं और यह कि इलिनॉय वासी सुरक्षित एवं महफूज़ रहें; और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम रहें, और,

**जबकि**, इस उद्घोषणा से राज्य ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने में मदद कर पाएगा जिन्हें COVID-19 के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके द्वारा आगे होने वाले विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकेगा; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पर राज्य की प्रतिक्रियाओं और स्थानीय सरकारों की प्रतिक्रियाओं को सहयोग देने के प्रयास के दौरान राज्य एवं संघीय संसाधनों, जिनमें COVID-19 का परीक्षण करने हेतु आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एवं दवाएं शामिल हैं, में तालमेल बैठाने में इलिनॉय के अभिकरणों (एजेंसियों) की सहायता करेगी; और,

**जबकि**, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत नई आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य है "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना";

**अब, अतः**, इलिनॉय के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्जकर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

**अनुभाग 1.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा मौजूद है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी कारुंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

**अनुभाग 2.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल रखें।

**अनुभाग 3.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करें।

**अनुभाग 4.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना (स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस प्लान) कार्यान्वित करें।

**अनुभाग 5.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट) द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकता है।

**अनुभाग 6.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

**अनुभाग 7.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ), इलिनॉय बीमा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इंश्योरेंस), और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फ़ेमिली सर्विसेज़) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे COVID-19 और उसके परीक्षण के लिए विस्तारित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उपभोक्ताओं को COVID-19 की पहचान करने और उपचार सेवाएं पाने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाईयों की अनुंशसा करें।

**अनुभाग 8.** इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़े अध्ययन के किसी भी दुष्प्रभाव को दूर करने पर ध्यान देने के लिए, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान दूरस्थ-शिक्षण, जो इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएँ हों उन्हें हटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयाँ करें।

**अनुभाग 9.** राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

**अनुभाग 10.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20, ILCS 3305/7(14) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियां, सुरक्षा उपकरण, दवाएं और वे अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं जो COVID-19 की रोकथाम या के उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, के विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना निषिद्ध रहेगा।

**अनुभाग 11.** यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को स्वीकारना सुगम बना सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

**अनुभाग 12.** सार्वजनिक अधिनियम 101-0640, अनुच्छेद 15, अनुभाग 15-5, जो मुक्त बैठक अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट), नवीन अनुभाग 5 ILCS 120/7(e)(4) को संशोधित करता है, के प्रयोजनों के लिए मैं यह पाता हूं कि इस उद्घोषणा में उल्लिखित विषयगत सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंताएं, नियमित बैठक स्थल पर दस से अधिक लोगों की व्यक्तिगत उपस्थिति को असंभाव्य बनाती हैं।

अनुभाग 13. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जिसे साक्षी मानकर, मैंने इस दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर किए हैं  
और इलिनॉय राज्य की महान मोहर लगवाई है।

इस कार्य को हमारे परमेश्वर के  
दो हज़ार इककीसवें वर्ष और  
इलिनॉय राज्य के दो सौ तीसरे  
वर्ष में तथा मार्च के बेंदिन  
स्प्रिंगफ़ील्ड (*Springfield*) शहर में  
विधायिका व कार्यपालिका भवन  
कैपिटल में संपन्न किया गया।

राज्य के सचिव

राज्यपाल (गवर्नर)